प0 सं0–14/डी0एल0ए0 एस0 एस0 बी0 पूर्णियाँ–1/2013– 2120 /रा0, पटना–15, दिनांकः– 02/09/2013

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अर्जन शाखा)

अधिसूचना

पत्रांक ..../रा0 भू–अर्जन प्रशाखा, पटना दिनांक ....

चूंकि बिहार सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि गाँव/मौजा सिकन्दरपुर, थाना नं0 243, अंचल पूर्णियाँ पूर्व, अनुमण्डल–सदर, जिला–पूर्णियाँ के अन्तर्गत एस0एस0बी0 सेक्टर हेडक्वाटर एवं अस्पताल के निर्माण कार्य हेतु आपात प्रक्रिया अन्तर्गत सरकारी खर्च पर रैयती भूमि की आवश्यकता है।

अतः इसके द्वारा परियोजना पूर्वांकित मौजा सिकन्दरपुर, थाना नं0 243, अंचल पूर्णियाँ पूर्व, अनुमंडल–सदर, जिला–पूर्णियाँ अन्तर्गत भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश रकवा 37 एकड़ के बराबर होता है, जिसका प्लॉट संख्या एवं चौहद्दी निम्न प्रकार है :–

खाता	खेसरा	रकवा (एकड़ में)	खाता	खेसरा	रकवा (एकड़ में)	खाता	खेसरा	रकवा (एकड़ में)
33	220 P	0.17	70	240	0.48	101	278	0.90
43	221 P	0.48	131	241	2.30	17	279	0.17
33	223	0.59	179	242 P	0.905	101	280	0.16
33	224	0.47	135	251 P	0.47	101	281	0.24
05	225	1.02	32	252	0.80	17	282	0.24
05	226	0.72	130	253	0.57	109	285 P	1.59
140	227	0.14	134	254	0.54	89	286	0.54
140	228	0.30	134	255	0.58	89	287	0.28
05	229	0.52	136	268 P	0.12	89	288	0.94
07	230	0.32	136	269 P	0.12	89	289	0.47
07	231	0.30	136	270	0.44	89	290	1.20
07	232	0.38	136	271	0.71	89	291	0.30
89	233	0.79	136	272	0.27	89	292	0.44
89	234	0.63	136	273	0.51	89	293	0.47
89	235	0.70	131	274 P	0.42	60	294	0.95
30	236	0.57	89	275 P	2.58	1	295 P	2.165
120	237	0.40	23	276 P	2.26	109	299	0.82
77	238	0.38	170	264 P	0.70			
60	239	0.51	17	277	0.96		कुल :–	37.00

पूर्ण खेसरा :– 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 252, 253, 254, 255, 270, 271, 272, 273, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294 एवं 299

अंश खेसरा :– 220, 221, 242, 251, 268, 269, 274, 275, 276, 264, 285 एवं 295

चौहद्दी निम्न प्रकार है–

उत्तर – खेसरा, 220 (अंश), 221(अंश), एवं 222

दक्षिण– पक्की सड़क खेसरा 298, 283, 285(अंश), 295(अंश), एवं 296

पूरब – ग्रामीण सड़क

पश्चिम – 220, 242(अंश), 251(अंश), 255(अंश), 254(अंश), 256, 267(अंश), 266(अंश), 274(अंश), 275(अंश), 276(अंश) एवं 264 अंश

यह अधिसूचना बिहार भू–अर्जन अधिनियम 1894 यथा संशोधित 1984 की धारा–4 के उपबंध के अधीन जैसा कि बिहार अधिनियम 11 सन् 1961 द्वारा संशोधित हुआ है, उन सभी संबंधित रैयतों/व्यक्तियों के लिये जारी की जाती है जिसका इससे संबंध हो। भूमि का नक्शा आदि जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पूर्णियाँ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार सरकार जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पूर्णियाँ और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से संबंधित आरम्भिक अनुसंधान में तत्सम लगे डिप्टी इंसपेक्टर जेनेरल सेक्टर हेडक्वाटर, एस0एस0बी0

(एम0एच0ए0) पूर्णियाँ (बिहार) के पदाधिकारी और कर्मचारी को भूमि पर जाने एवं उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा–4 की उप धारा (2) में यथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिये अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिये प्राधिकृत करते हैं।

उक्त अधिनियम की धारा–17(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने विनिश्चय किया कि परियोजना की शीघ्रता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा–5ए के उपबंध लागु नहीं होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

समाहर्त्ता,
पूर्णियाँ।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2120/जि0भू0अ0, पटना, दिनांक -02-09-13

प्रतिलिपि :– निदेशक जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की तीन प्रतियों सहित दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू0 अर्जन पदाधिकारी, पूर्णियाँ को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप समाहर्त्ता, प्रभारी जिला गजट, पूर्णियाँ समाहरणालय को जिला गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट की दस–दस (10–10) प्रतियों इस विभाग को एवं जिला भू–अर्जन कार्यालय, पूर्णियाँ को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता, पूर्णियाँ/जिला भू0 अर्जन पदाधिकारी, पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार पटना